जिला पंचायत, रामपुर
मृत पशु शव निस्तारण नीलामी सूचना वर्ष 2019–20

शासनादेश सं0 858/33–2–96–57 डब्लू/91 दिनांक 30.03.1996 एवं समय–समय पर प्रसारित शासनादेशों के अनुसार जिला पंचायत, रामपुर द्वारा जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों के मृत पशुओं के शव निस्तारण के लाइसेंस वर्ष 2019–20 के लिये विकास खण्ड वार/न्याय पंचायत वार रायल्टी पर नियमानुसार वृद्धि के साथ देने हेतु पंजीकृत क्रियाशील एवं जीवित सहकारी समितियों के प्रार्थना पत्र दिनांक 6–2–2019 को 12.00 बजे दिन तक कार्यालय जिला पंचायत, रामपुर में आमन्त्रित किये जाते हैं। समितियों के प्रार्थना पत्रों के परीक्षणोपरांत पात्र समितियों को लाइसेंस दिये जाने की कार्यवाही दिनांक 12–2–2019 तक की जायेगी। उक्त नियत तिथि में समितियों के उपस्थित न होने/भाग न लेने पर अवशेष विकास खण्डों की नीलामी बोली पृथक रूप से इस पेशे से संबंधित व्यक्तियों के मध्य दिनांक 21–2–2019 को करायी जायेगी। उक्त तिथियों में लाइसेंस/ठेका न होने की स्थिति में पुनः लाइसेंस/ठेके की नीलामी दिनांक 28–2–2019 को की जायेगी। लाइसेंस/ठेके से संबंधित समस्त शर्तें कार्यालय दिवस में देखी व पढ़ी जा सकती हैं। दिनांक 06–2–2019 के पश्चात् समिति द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

उक्त तिथियों में भी नीलामी/ठेके की कार्यवाही पूर्ण न होने पर प्रत्येक बुधवार को समय 12.00 बजे दोपहर से नीलामी/ठेके की कार्यवाही सम्पादित की जायेगी। जिसके लिए पृथक से विज्ञापन प्रकाशित नहीं किया जायेगा। खादी ग्रामोद्योग अधिकारी, रामपुर द्वारा संस्तुति न किये जाने पर किसी भी समिति को ठेका/लाइसेंस दिये जाने पर कोई विचार नहीं किया जायेगा तथा उक्त सूचना से संबंधित विवरण कार्यालय में एवं वेबसाईट http://rampur.nic.in पर भी देखा जा सकता है।

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत, रामपुर।

पत्रांक 3650/जि0पं0 दिनांक 22-1-19

प्रतिलिपि :–
1. माननीय अध्यक्ष महोदय जिला पंचायत की सेवा में सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।
2. संवाददाता को इस आशय से प्रेषित कि उक्त सूचना को अपने समाचार पत्र में एक बार कम से कम स्थान पर प्रकाशित कराकर बिल शासकीय दरों पर कार्यालय में समाचार पत्र प्रति सहित प्रस्तुत करने का कष्ट करें।
3. संवाददाता दैनिक उर्दू नाजिम, रामपुर को इस आशय से प्रेषित कि अपने समाचार पत्र में एक बार प्रकाशित कराकर बिल कार्यालय में समाचार पत्र प्रति सहित प्रस्तुत करने का कष्ट करें जिसके लिए आपको 1000/– (एक हजार) रूपये का भुगतान किया जायेगा।
4. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, रामपुर को इस अनुरोध के साथ कृपया उक्त सूचना को इन्टरनेट पर उपलब्ध कराने का कष्ट करें। (संलग्न सी0डी0)

22/1/2019

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत, रामपुर।